कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री वी0 के0 इण्डस्ट्रीज, खसरा नं0-36, अफजालपुर, लोनी, गाजियाबाद।**
प्रार्थना-पत्र संख्या व दिनांक	**020 / 14, 11.03.2014**
प्रार्थी की ओर से	**श्री दीपक कुमार गोयल, विद्वान अधिवक्ता।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री वी0 के0 इण्डस्ट्रीज, खसरा नं0-36, अफजालपुर, लोनी, गाजियाबाद द्वारा दिनांक 11.03.2014 को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया, जिसमें उनके द्वारा '' बगास स्ट्रा बोर्ड '' पर, वैट अधिनियम के अन्तर्गत कर की दर जाननी चाही गयी है।

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु श्री दीपक कुमार गोयल, विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए, उनके द्वारा प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कहा गया कि बगास स्ट्रा बोर्ड के निर्माण व बिक्री का कार्य करते हैं जिसमें गन्ने की खोई, लकड़ी का बुरादा तथा कैमिकल को मिलाकर स्ट्रा बोर्ड बनाया जाता है जिसका प्रयोग ब्लैक बोर्ड, नोटिस बोर्ड, पिन बोर्ड, दफ्ती, डस्टर, फोटो फ्रेम आदि में किया जाता है। उनके द्वारा लिखित तर्कों में यह भी कहा गया कि धारा-59 के प्रार्थना-पत्र संख्या-127 / 2008 में पारित निर्णय दिनांक 30.06.2008 में स्ट्रा बोर्ड को 4% की दर से करयोग्य माना गया है। उनके द्वारा उपरोक्त आधारों पर उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II के अन्तर्गत 4% की दर से करदेयता निर्धारित करने का अनुरोध किया गया है।

3. उपरोक्त संदर्भ में एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, गाजियाबाद जोन-प्रथम, गाजियाबाद द्वारा पत्र संख्या-204, दिनांक 07.05.2014 से बिन्दुवार आख्या निम्न भाँति प्रेषित की गयी है:-

1. सर्वश्री वी0 के0 इण्डस्ट्रीज, खसरा नं0-36, अफजालपुर, लोनी, गाजियाबाद केवल बगास स्ट्रा बोर्ड के निर्माण-बिक्री के साथ-साथ मिल बोर्ड, डुप्लैक्स बोर्ड व ग्रे बोर्ड के निर्माण-बिक्री का भी कारोबार करती है।

2. उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की करों की अनुसूची के शेड्यूल-II, पार्ट-ए के क्रमांक-92 से स्पष्ट है कि मिल बोर्ड, डुप्लैक्स बोर्ड एवं ग्रे बोर्ड पर करदेयता शेड्यूल-II के अनुसार नहीं है तथा उक्त वस्तु शेड्यूल-I से शेड्यल-IV तक कहीं भी अंकित नहीं होने के कारण उक्त वस्तुओं पर करदेयता शेड्यूल-V के अन्तर्गत 12.5% है।

3. प्रश्नगत बगास स्ट्रा बोर्ड पर शेड्यूल-I से शेड्यूल-IV तक कहीं पर भी करदेयता का उल्लेख न होने के कारण बगास स्ट्रा बोर्ड पर भी शेड्यूल-V के अनुसार 12.5% से करदेयता है।

4. सर्वश्री वी0 के0 इण्डस्ट्रीज, खसरा नं0-36, अफजालपुर, लोनी, गाजियाबाद द्वारा भी खण्ड में स्वत: बगास स्ट्रा बोर्ड पर 12.5% की दर से करदेयता स्वीकार की जा रही है। फर्म स्वामी के मन में बगास स्ट्रा बोर्ड पर करदेयता शेड्यूल-II के अन्तर्गत 4% होने का भ्रम मात्र बगास स्ट्रा बोर्ड के निर्माण में प्रयुक्त

...2

होने वाले समस्त कच्चे माल एवं बगास स्ट्रा बोर्ड से निर्मित होने वाली वस्तुओं पर करदेयता शेड्यूल-II के अन्तर्गत 4% होने के कारण उत्पन्न हुई है और उनका निष्कर्ष है कि ऐसी स्थिति में बगास स्ट्रा बोर्ड पर भी करदेयता 4% होनी चाहिए।

5. फर्म स्वामी का यह भ्रम निराधार है। किसी निर्मित वस्तु पर करदेयता, उसके निर्माण में प्रयुक्त होने वाले कच्चे माल पर करदेयता के आधार पर निर्धारित नहीं होती है।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि प्रार्थी द्वारा नक्शा व कर जमा किया जा रहा है और स्वयं 12.5% की दर से करदेयता स्वीकार की जा रही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सर्वश्री घनश्याम दास बनाम रीजनल असिस्टेंट कमिश्नर सेल्स टैक्स, नागपुर के वाद में निर्णय दिनांक 16.08.1963 (1964 AIR 766) में विचाराधीन कार्यवाही (proceedings pending) को स्पष्ट किया गया है। इस निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह व्यवस्था दी गयी है कि पंजीकृत व्यापारी के मामले में रिटर्न दाखिल करते ही कर-निर्धारण की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है। उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम की धारा-35 एवं उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के प्राविधान समान हैं। धारा-35 के मामले में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कमिश्नर बिक्रीकर, उ0प्र0 बनाम सर्वश्री राना मसाला उद्योग 1983 ATJ 240 के वाद में यह व्यवस्था दी है कि एक बार रिटर्न जमा करने के बाद कमिश्नर धारा-35 के अन्तर्गत प्रश्न को निर्धारित करने के लिए सक्षम नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र ग्राह्य नहीं होना चाहिए।

इसके अतिरिक्त प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा यह भी कहा गया कि उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के प्रार्थना-पत्र संख्या-127 / 2008 में पारित निर्णय दिनांक 30.06.2008 में स्ट्रा बोर्ड को Paper of all kinds तथा packing materials मानते हुए इस पर 4% की दर से करदेयता मानी गयी है। बगास स्ट्रा बोर्ड पैकिंग मैटेरियल की तरह प्रयोग नहीं होता है। अत: पैकिंग मैटेरियल के अन्तर्गत नहीं आता है। प्रयोग की दृष्टि से भी यह कागज की भाँति प्रयोग नहीं होता। अत: प्रयोग की दृष्टि से भी यह कागज से भिन्न है। अत: इस पर उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-V के अन्तर्गत अवर्गीकृत वस्तु की भाँति करदेयता होनी चाहिए और प्रार्थी द्वारा तदनुसार कर जमा भी किया जा रहा है।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, गाजियाबाद जोन-प्रथम, गाजियाबाद द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि-व्यवस्था का परिशीलन किया गया। पाया गया कि प्रार्थी द्वारा नक्शा व कर जमा किया जा रहा है और स्वयं 12.5% की दर से करदेयता स्वीकार की जा रही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सर्वश्री घनश्याम दास बनाम रीजनल असिस्टेंट कमिश्नर सेल्स टैक्स, नागपुर के वाद में निर्णय दिनांक 16.08.1963 (1964 AIR 766) में विचाराधीन कार्यवाही (proceedings pending) को स्पष्ट किया गया है। इस निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह व्यवस्था दी गयी है कि पंजीकृत व्यापारी के मामले में रिटर्न दाखिल करते ही कर-निर्धारण की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है। उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम की धारा-35 एवं उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के

.....3

प्राविधान समान हैं। धारा-35 के मामले में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कमिश्नर बिक्रीकर, उ0प्र0 बनाम सर्वश्री राना मसाला उद्योग 1983 ATJ 240 के वाद में यह व्यवस्था दी है कि एक बार रिटर्न जमा करने के बाद कमिश्नर धारा-35 के अन्तर्गत प्रश्न को निर्धारित करने के लिए सक्षम नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र ग्राह्य नहीं है जिसे अस्वीकार किया जाता है।

6. उपरोक्त की एक प्रति प्रार्थी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 18 जून, 2014

ह0 / 18.06.2014

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।